

## दिनांक 25.04.2016 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम—

लखनऊ जोन, मुख्यालय, लखनऊ

(समस्त प्रकरण निस्तारित)

क्रम सं०	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नं०	शिकायत का विषय	पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	सुश्री शाहीन फातिमा उजरियांव, गोमती नगर, लखनऊ। मो० नं०— 8004633356	वृन्दावन योजना सं०-1 के आवंटित भवन सं०— 6ए/1057 / ई०डब्ल्यू०एस० के कब्जे के सम्बन्ध में।	—		उप आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना के पत्रांक 9558 दिनांक 23.11.2016 द्वारा प्रदेशन पत्र जारी कर दिया गया है।	प्रकरण निस्तारित
2.	श्री जयशिव द्विवेदी भ० सं०—15/115, इन्दिरानगर लखनऊ। 9450364807	बस्तौली, गाजीपुर के खसरा सं०—142 की भूमि अर्जन मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	सहायक अभियन्ता भूमि अर्जन के पत्रांक 1074 दिनांक 27.09.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री द्विवेदी द्वारा खसरा सं०—205 की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है अतः भूमि अर्जन मुक्त करना सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित
3.	श्री राधे श्याम 110/129, नया गाँव पूर्वी, लखनऊ। मो० 9889022116	इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के भवन सं०— 19/1039 की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।	—		सम्पत्ति प्रबन्धक को पत्र देते हुये कार्यवाही के लिये कहा गया।	प्रकरण निस्तारित
4.	श्री महाराजा सिंह नौचन्दी ग्राउण्ड, मेरठ। मो० नं०—9358401472, 9719135254	खसरा सं०— 5751 की एन०ओ०सी० प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	सहायक अभि० भूमि के पत्रांक 855 दिनांक 5.08.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री महाराज सिंह के परिवार के प्रतिनिधियों द्वारा परिषद भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया गया है। वर्तमान दर पर सहमत न होने के कारण प्रकरण पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।	प्रकरण निस्तारित
5.	श्री अशोक कुमार 357/29, रूकुन्दीपुर, राजाजीपुरम, लखनऊ। मो० नं०— 9369255680	भूमि चिन्हांकित किये जाने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	अधिशायी अभियन्ता, नि०ख०—12 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि वह राजस्व परिषद के रिकार्ड के अनुसार जमीन का चिन्हांकन करा लें।	प्रकरण निस्तारित
6.	श्री जमुना प्रसाद 357/19, रूकुन्दीपुर, राजाजीपुरम, लखनऊ। मो० नं०— 9936159588	भूमि चिन्हांकित किये जाने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	अधिशायी अभियन्ता, नि०ख०—12 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि वह राजस्व परिषद के रिकार्ड के अनुसार जमीन का चिन्हांकन करा लें।	प्रकरण निस्तारित